माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र. 1648
दिनांक : 23/08/2012

सूचना

विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि

1. विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के लिये समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं में उल्लेखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित किया जाय। उल्लेखनीय है कि जिन अधिसूचनाओं में निर्देशों का पालन करने हेतु तिथि निर्धारित हो वहाँ विशेष रूप से अंतिम तिथि का ध्यान रखा जाये तथा अंतिम तिथि का इन्तजार न करते हुए उन निर्देशों का अंतिम तिथि के पूर्व ही पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

2. पत्र व्यवहार के संबंध में यह देखने में आया है कि संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को विश्वविद्यालय के जिस विभाग से पत्र व्यवहार करना चाहिये उस विभाग से पत्र व्यवहार करने के स्थान पर अन्य विभागों को संबोधित करते हुए अपने पत्र/आवेदन प्रेषित किये जाते हैं। जैसे कि निदेशक (ए.एस.आई.) को भेजे जाने वाले पत्र कुलपति अथवा कुलसचिव महोदय को संबोधित करते हुए प्रेषित किये जाते है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलम्ब होने की संभावना रहती है। अतः संबंधित विषय के पत्र व्यवहार संबंधित विभाग के अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के निम्न पते पर किये जायें:

बी/38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स,
जोन–1, एम.पी. नगर,
भोपाल–462011 (म.प्र.)

अ) संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ विभाग से संबंधित पत्र व्यवहार : **निदेशक (ए.एस.आई.)**
ब) परीक्षा विभाग से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार : **परीक्षा नियंत्रक**
स) नामांकन विभाग से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार : **परीक्षा नियंत्रक/सहा.कुलसचिव (नामांकन)**
द) अकादमिक विभाग से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार : **उप कुलसचिव (अकादमिक)**

3. संबद्ध अध्ययन संस्था के **ई–मेल/दुरभाष क्र.** में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना तत्काल संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ विभाग के साथ–साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग को भी दी जाये। यदि किसी संस्था के पते में परिवर्तन हो तो वह विश्वविद्यालय के रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

दीपक शर्मा
निदेशक
(संबद्ध अध्ययन संस्थाएँ)